

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं मू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)
दिनांक : 23/7/2010

क्रमांक : एफ.18(आई-40)आईडब्ल्यूएमपी/2010/1077-1311

आदेश

जलग्रहण विकास परियोजना के समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008 के पैरा 71 एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मू संस्थापन विभाग के आदेश क्रमांक K-11013/3/2009/ IWMP/Rajasthan दिनांक 30.9.2009 के पैरा 15.1 के क्रम में आईडब्ल्यूएमपी योजनात्मक परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी सहायक अभियन्ता, जलग्रहण विकास, पंचायत समिति को प्रत्येक परिशोधना हेतु स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर में एक वचत बैंक खाता खोलने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. वचत बैंक खाते का संचालन सहायक अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं मू संरक्षण तथा लेखाकार, पंचायत समिति के समुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा नियमित रूप से चयनित सहायक अभियन्ता (सजायुक्त अधिकारी) एवं नियमित रूप से चयनित एवं वाचरशा लेखाकार को भी ये अधिकार हैं। (संकेत पर वाचरशा सहायक अभियन्ता एवं लेखाकार को ये शक्तियाँ नहीं हैं।
2. इन वचत बैंक खातों में आईडब्ल्यूएमपी की राशि के अलावा अन्य कोई राशि जमा नहीं करायी जायेगी।
3. इन वचत बैंक खातों में आवश्यकतानुसार एसएसएसए/जिला जलग्रहण विकास इकाई द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी।
4. वचत बैंक खाते का अंक निलान प्रविभाह करने पर दायित्व सहायक अभियन्ता एवं लेखाकार का होगा, जिससमी रिपोर्ट जिला जलग्रहण विकास इकाई स्तर पर संकलित की जाकर मुख्यालय को भिजित की जायेगी।
5. भारत सरकार द्वारा यह योजना (आईडब्ल्यूएमपी) चला करने पर विभाग में वचत बैंक खाते बन्द करके वित्त विभाग को सूचित करेगा।
6. परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा जलग्रहण विकास-दल के सदस्यों के मानदेय, जलग्रहण समिति सचिव के मानदेय एवं संगम्री आदि के पेटे भुगतान बंदल Account Payee धेक के माध्यम से ही किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त(मार्गोपाय) विभाग की आई.डी. संख्या 281000158 दिनांक 9.7.10 द्वारा अनुमोदित है।

शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
दिनांक : 23/7/2010

क्रमांक : एफ.18(आई-40)आईडब्ल्यूएमपी/2010/1077-1311

प्रतिनिधि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर,
4. उपा शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक/मुख्य लेखाधिकारी/संयुक्त निदेशक(एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
6. उपनिदेशक(प्रशासन/आईडब्ल्यूएमपी)/ग्रामीण विकास/प्रशिक्षण/मुण नियंत्रण, निदेशालय, जयपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, जिला जलग्रहण विकास इकाई,
8. लेखाधिकारी (पंचायत प्रकोष्ठ), जिला परिषद,
9. सहायक अभियन्ता एवं परियोजना, क्रियान्वयन एजेन्सी, पंचायत समिति

ग्रामीण निदेशक विभाग
जल ग्रहण विकास एवं मू संरक्षण
राजस्थान, जयपुर